	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/4/21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 18.5 को पेश हो।	
18/5/21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.6.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29/6/21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 27.7 को पेश हो।	
27.7.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट अप्राप्त। वास्ते पत्रावली मे देखने मौका रिपोर्ट हेतु नियत दिनांक 17.8.21 को पेश हो।	
17/8/21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते पत्रावली उभयपक्षो की बहस हेतु नियत दिनांक 14.9.21 को पेश हो।	
11-21	पत्रावली केम्प चांसेड़ा को पेश हुई। आगामी दिनांक 2-12-21 को पेश हो।	
2.12.21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो की बहस पूर्ण सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नं. 1096 भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण 01 लगायत 04 की आराजी	

हुक्म

1101, 1099 की पश्चिमी दिशा की मेड के सहारे-सहारे 12 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की।

जब कि अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौके पर विपक्षी की आराजी मे कोई रास्ता विद्यमान ही नही है, प्रार्थी ने मिथ्या तथ्य अंकित कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा प्रार्थी ने अन्य सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी आराजी नं. 850, 1084, 1097 व 1096 मे आ जा रहा है। वर्तमान मे इसी रास्ते से होकर अपनी आराजी मे आता-जाता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, तथा तहसीलदार माण्डल की प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि प्रार्थी की आराजी नं. 1096 मे आवागमन हेतु कोई रेकार्डेड रास्ता विद्यमान नही है एवं वर्तमान मे उक्त आराजी पर आबादी भूमि मे चार फीट की गली जो आराजी नं. 1095 से होकर चालू है, जो कि आराजी नं. 1094 मे होकर आराजी नं. 1096 तक काम मे ली जा रही है जो देवस्थान माताजी के स्थान हेतु छोड़ी गयी है जिससे आया जाया जाता है। परन्तु जिसमे ट्रेक्टर व कृषि कार्य नही हो सकता है। यह आराजी नं. 1094, 1095 अन्य खातेदारान की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा०का० अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अत:

:: आदेश ::

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम बाकली परवार हल्का चांखेड तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 1096 भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है। एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण 01 लगायत 04 की आराजी न० 1100, 1101, 1098, 1105 यानि आराजी नं. 1100 की दक्षिणी मेड व 1101 की दक्षिणी पश्चिमी व 1098 की दक्षिणी पश्चिमी मेड एंव आराजी नं. 1105 की उत्तरी मेड के सहारे-सहारे 12 फीट चौडाई का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है, 12 फीट चौडाई के रास्ते मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 01 लगायत 04 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार मांडल को लिखा जावे। तहसीलदार माण्डल निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	